राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ 17 (1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ जयपुर, दिनांक 16.08.2014

प्रेषिति,
जिला कलक्टर,
झुन्झुनू, कोटा, भरतपुर व अजमेर।

विषयः– विधानसभा उप चुनाव–2014 के मध्यनजर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में भामाशाह नामांकन अभियान स्थगित करने के संबंध में।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के चार विधानसभा क्षेत्रों–सूरजगढ़ (जिला–झुन्झुनू), कोटा दक्षिण (जिला–कोटा), वैर (जिला–भरतपुर) व नसीराबाद (जिला–अजमेर) में उप चुनाव की घोषणा कर दिये जाने के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/INST/2012/CC&BC दिनांक 26 अप्रेल 2012 के अनुसार चुनाव आचार संहिता उप चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र में ही लागू होती है ।

यद्यपि चुनाव आयोग से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि नामांकन शिविर, आचार संहिता से बाधित है अथवा नहीं, तथापि चुनाव आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक उक्त क्षेत्रों में नामांकन शिविर स्थगित किया जाना उचित होगा । अतः विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ (जिला–झुन्झुनू), कोटा दक्षिण (जिला–कोटा), वैर (जिला–भरतपुर) व नसीराबाद (जिला–अजमेर) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में भामाशाह नामांकन शिविर आगामी आदेश तक अविलम्ब प्रभाव से स्थगित किये जाते है।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना